**प्रेस विज्ञप्ति**

**13.02.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने डॉ. अथुलुरी नम्रता उर्फ पच्चीपल्ली नम्रता को 12 फरवरी, 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से चलाए जा रहे उनके अवैध सरोगेसी रैकेट की जांच के दौरान की गई।

ईडी ने हैदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, अवैध सरोगेसी और बाल तस्करी के कई मामलों में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। डॉ. पच्चीपल्ली नम्रता उर्फ अथुलुरी नम्रता (यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर) अपने क्लिनिक और कर्मचारियों व एजेंटों के साथ मिलकर चलाए जा रहे सरोगेसी रैकेट के जरिए निःसंतान दंपतियों को नवजात शिशु मुहैया करा रही थीं। जांच के दौरान पुलिस ने डॉ. नम्रता और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें 27 नवंबर, 2025 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पीएमएलए जांच के दौरान, डॉ. नम्रता और उनके सहयोगियों के बयान न्यायिक हिरासत में दर्ज किए गए और विभिन्न परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप 2014 से इस रैकेट में उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले दस्तावेज जब्त किए गए। जांच में पता चला कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने और अधिकारियों द्वारा उनका मेडिकल लाइसेंस निलंबित किए जाने के बावजूद उन्होंने फर्जी सरोगेसी रैकेट जारी रखा।

ईडी की जांच में पता चला कि डॉ. नम्रता ने सरोगेट मां के माध्यम से बच्चा पैदा कराने का वादा करके निःसंतान दंपतियों से बड़ी रकम वसूली। प्रक्रिया को वास्तविक दिखाने के लिए, उनके युग्मकों को सरोगेट मां में प्रत्यारोपित करने के लिए एकत्र किया गया। हालांकि, नवजात शिशुओं को गरीब और कमजोर माता-पिता से प्राप्त किया गया था जो बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ थे और गर्भपात कराना चाहते थे। रैकेट में एजेंटों और उप-एजेंटों का एक नेटवर्क शामिल पाया गया, जो गरीब और जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं की व्यवस्था करते थे और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उन्हें पैसे देकर बच्चे को त्यागने के लिए राजी करते थे।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि डॉ. नम्रता एक बच्ची के लिए लगभग 3.5 लाख रुपये और एक बच्चे के लिए 4.5 लाख रुपये लेती थीं। ये प्रसव उनके विशाखापत्तनम स्थित अस्पताल में कराए जाते थे क्योंकि उनके सिकंदराबाद अस्पताल का लाइसेंस अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा, नगर निगम को भेजी गई जन्म रिपोर्टों में उन्होंने हेराफेरी की थी और उनमें निःसंतान दंपतियों के नाम उनके जैविक माता-पिता के नाम के बजाय दर्ज किए गए थे।

ईडी की जांच में पता चला कि कई दंपतियों को इसी तरह ठगा गया और उनसे चेक और नकद के रूप में बड़ी रकम वसूल की गई। इस रकम का कुछ हिस्सा एजेंटों/उप-एजेंटों को उनके कमीशन के रूप में और तस्करी किए गए बच्चों के जैविक माता-पिता को दिया गया। डॉ. नम्रता के बैंक खातों के विश्लेषण से उनकी कार्यप्रणाली की पुष्टि हुई, जिसमें पाया गया कि निःसंतान दंपतियों से एकत्र की गई धनराशि का उपयोग एजेंटों/उप-एजेंटों को भुगतान करने के लिए किया गया था और वहां से तस्करी किए गए बच्चों के जैविक माता-पिता को आगे भुगतान किया गया था।

जमानत पर रिहा होने के बाद दर्ज किए गए अपने बयानों के दौरान, अपराध से प्राप्त धन और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अपनी भूमिका की पुष्टि करने वाले सबूतों के बावजूद, वह टालमटोल करती रही और असहयोग करती रही।

इसलिए उसे 12.02.2026 को गिरफ्तार किया गया और हैदराबाद के नामपल्ली स्थित माननीय एमएसजे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उसे 26.02.2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जांच जारी है।